न्यूज़ टुडे

महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'आसियान की केंद्रीय भूमिका' खतरे में पड़ सकती है

हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्तिशाली देशों के बीच जारी **प्रतिद्वंद्विता और टैरिफ युद्ध** से इस क्षेत्र के **अलग-अलग गुटों में विभाजित होने और ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा** उत्पन्न हो गया है।

'आसियान की केंद्रीय भूमिका' (ASEAN Centrality) क्या है?

- यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि **'दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन' यानी आसियान को "विकसित होती हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संरचना" का नेतृत्व** करना चाहिए।
- यह सिद्धांत **सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्पन्न** हुआ, जब इस क्षेत्र के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों की अनुपस्थिति, जापान के पुनः सैन्यीकरण की संभावना, चीन के उदय और अन्य सुरक्षा मुद्दों को लेकर गंभीर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।
- भारत के प्रधान मंत्री द्वारा **2018 के शांगरी-ला संवाद में व्यक्त किए गए 'मुक्त, खुले और मजबूत हिंद-प्रशांत'** के विज़न में भी इस सिद्धांत को रेखांकित किया गया।

'आसियान की केंद्रीय भूमिका' सिद्धांत के समक्ष खतरे

- **संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन शीत युद्ध:** यह युद्ध आसियान **सदस्य देशों को विभाजित** कर सकता है, क्योंकि **कुछ सदस्य देशों के चीन के साथ तो कुछ सदस्य देशों के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध** हैं। ऐसे में आसियान के अलग-अलग मंचों पर **सदस्य देशों के बीच सहयोग कठिन** हो जाएगा।
- **कमजोर होती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था:** संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के चलते **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) और आसियान रीजनल फोरम (ARAF)** जैसे सहयोग-आधारित **आसियान-केंद्रित मंच** कमजोर हुए हैं।
- **अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव:** ये टैरिफ उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को अस्थिर कर रहे हैं, जिस पर **आसियान निर्भर** करता है। इसकी वजह से **तनाव उत्पन्न** हो रहा है और **जवाबी व्यापारिक कार्रवाइयों को लेकर आसियान देशों के बीच एकता कमजोर** हो रही है।

'आसियान की केंद्रीय भूमिका' को मजबूत करने के उपाय

- **आसियान को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए:** इसके लिए सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता, संकट से निपटने के बेहतर तंत्र, असहमति की स्थिति में निर्णय लेने के नए विकल्प, और विवादास्पद सुरक्षा मुद्दों को सुलझाने के प्रति तत्परता जैसे उपाय किए जा सकते है।
- **समान सोच वाले साझेदारों देशों/ संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना:** यूरोपीय संघ (EU), ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों से सहयोग बढ़ाना चाहिए। ये संगठन और देश **संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता से बचने की** कोशिश कर रहे हैं।
- **भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना:** भारत आसियान देशों का स्वाभाविक साझेदार देश है। वास्तव में, भारत भी **क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और क्षेत्रीय स्थिरता** बनाए रखने के आसियान लक्ष्यों को साझा करता है।
- **मौजूदा समझौतों की समीक्षा:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में सुधार करना चाहिए तथा अधिक देशों को **"ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (CPTPP)"** में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित दो महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक पारित किए गए

लोक सभा ने **'मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025'** और राज्य सभा ने **'कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2025'** को मंजूरी दी है।

- **'मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025'** का उद्देश्य भारत के समुद्री कानूनों को **मार्पोल/ MARPOL और रेक रिमूवल कन्वेंशन** जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाना है।
- **'कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2025'** का उद्देश्य **व्यापार करने में सुगमता** को बढ़ावा देना है।

विधेयकों के प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर

- **मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025 (मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की जगह लेगा)**
  - **सभी जहाजों का अनिवार्य पंजीकरण:** जहाज के प्रणोदन या वजन के प्रकार के बावजूद सभी जहाजों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें पुनर्चक्रण के लिए जहाजों के अस्थायी पंजीकरण का भी प्रावधान है।
  - **जहाजों की परिभाषा का विस्तार:** अब इसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, सबमर्सिबल्स और नॉन-डिसप्लेसमेंट क्राफ्ट्स भी शामिल हैं।
  - **स्वामित्व मानदंड:** इसमें अब भारतीय नागरिक, भारतीय कानूनों के अनुसार स्थापित कंपनी/ निकाय, पंजीकृत सहकारी समितियां, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCIs) आदि द्वारा आंशिक स्वामित्व वाले पोत भी शामिल किए जाएंगे।
  - **राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड:** 1958 के अधिनियम के प्रावधानों को इसमें भी बरकरार रखा गया है।
  - **नाम में परिवर्तन:** 'डायरेक्टर-जनरल ऑफ शिपिंग' का नाम बदलकर **'डायरेक्टर-जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन'** कर दिया गया है। इसे समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है।
  - **नाविक समझौतों का विस्तार:** इसमें अधिक पक्षकारों को शामिल किया जाएगा। इससे नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
  - **समुद्र में प्रदूषण की रोकथाम:** इसमें सभी जहाजों के लिए, उनके टन भार पर ध्यान दिए बिना, प्रदूषण प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
- **कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2025 (इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, 1925 का स्थान लेगा)**
  - **हेग-विस्बी नियमों (1924) को अपनाना:** ये नियम और उनके बाद के संशोधन दुनिया भर में स्वीकृत समुद्री मानक हैं।
  - **केंद्र सरकार की भूमिका:** केंद्र सरकार को **बिल ऑफ लैडिंग** से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने और नियमों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
    - **बिल ऑफ लैडिंग** वह दस्तावेज होता है, जिसे मालवाहक कंपनी माल भेजने वाले को देती है। इसमें माल का प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य की जानकारी होती है।

जापान के हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले के 80 साल पूरे हुए

ज्ञातव्य है कि **6 एवं 9 अगस्त, 1945** को संयुक्त राज्य अमेरिका ने **'लिटिल बॉय'** और **'फैट मैन'** नामक परमाणु बम क्रमशः **हिरोशिमा तथा नागासाकी** पर गिराए थे। इन परमाणु हमलों ने भीषण विनाश किया था और लोगों को लंबे समय तक **रेडिएशन के दुष्प्रभाव का सामना** करना पड़ा था।

हिरोशिमा परमाणु हमले के बाद भू-राजनीतिक प्रभाव

- **द्वितीय विश्व युद्ध का अंत:** जापान द्वारा **2 सितंबर, 1945 को आत्मसमर्पण दस्तावेज** पर हस्ताक्षर करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था।
- **परमाणु हथियार रखने की होड़ की शुरुआत:** 1949 में सोवियत संघ द्वारा अपने पहले परमाणु परीक्षण के साथ ही विश्व में **परमाणु हथियार रखने की स्पर्धा** की शुरुआत हुई। आगे चलकर यह **शीत युद्ध** की विशेषता बन गई।
- **'परस्पर सुनिश्चित विनाश (MAD)' का सिद्धांत:** यह एक प्रकार का **निवारक सिद्धांत** है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि **एक महाशक्ति द्वारा किए गए परमाणु हमले का जवाब इतने भीषण जवाबी परमाणु हमले** से दिया जाएगा कि दोनों देशों का विनाश हो जाएगा।
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** 1957 में **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की स्थापना** असैन्य परमाणु अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए की गई।
- **निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास:** **'निरस्त्रीकरण सम्मेलन'** को 'परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एकमात्र बहुपक्षीय मंच' बनाया गया।

हिरोशिमा के बाद परमाणु हथियारों से संबंधित वैश्विक संधियां एवं पहलें

- **आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963):** यह वायुमंडल एवं बाह्य अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है।
- **परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT) (1970):** इसका उद्देश्य **परमाणु हथियारों और परमाणु तकनीकों के प्रसार को रोकना** है।
- **व्यापक परमाणु-परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996):** यह संधि **सैन्य या असैन्य उद्देश्यों से किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध** लगाती है।
- **निरस्त्रीकरण मामलों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय:** यह संगठन वैश्विक स्तर पर **सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण को बढ़ावा** देने के लिए कार्य करता है।
- **अन्य पहलें:** पैक्ट फॉर फ्यूचर, परमाणु हथियार निषेध संधि, आदि।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 'मेगाफ्लैश लाइटनिंग' के रिकॉर्ड को प्रमाणित किया

2017 में **संयुक्त राज्य अमेरिका में 829 किमी** की एकल **आकाशीय बिजली** की चमक उत्पन्न हुई थी, जो कि एक रिकॉर्ड बना है। यह **पूर्वी टेक्सास** से शुरू होकर **कंसास सिटी** के पास तक फैली थी।

आकाशीय बिजली के बारे में

- **उत्पत्ति:** आकाशीय बिजली वायुमंडल में **बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश** का निर्मुक्त होना है। आकाशीय बिजली, गर्जन करने वाले **बादल के भीतर दो विपरीत आवेशों के बीच (इंट्रा-क्लाउड लाइटनिंग) या बादल में और जमीन पर दो विपरीत आवेशों के बीच (क्लाउड-टू-ग्राउंड लाइटनिंग)** उत्पन्न हो सकती है।
  - यह आवेश **वायु के तापरोधी गुण को खंडित** कर देता है। इस कारण भूमि पर बिजली गिरती है।
- **प्रभाव:** बिजली जब गिरती है, तो उसके आसपास की हवा तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे वह फैलती है और तीव्र ध्वनि **(गर्जन)** पैदा होती है।
  - बिजली और गरज के साथ आने वाले तूफान को **थंडरस्टॉर्म** कहते हैं।
- **कारण:**
  - **तापमान में वृद्धि:** तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 7% से 18% तक की बढ़ोतरी होती है।
  - **प्रदूषण:** एरोसोल के स्तर में वृद्धि।
  - **शहरीकरण**, आदि।
- **भारत में रुझान:** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेशन-सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) के अनुसार, 2019-2024 के बीच इन घटनाओं में 57% की वृद्धि हुई है।
- **मुख्य खतरे:**
  - **इमारतों में बिजली गिरने से आग/ विस्फोट** (ताप रोधी क्षमता के खंडित होने और शॉर्ट सर्किट के कारण),
  - **वृक्षों का टूटना** (नमी के वाष्पीकरण से),
  - **जान-माल का नुकसान**, आदि।

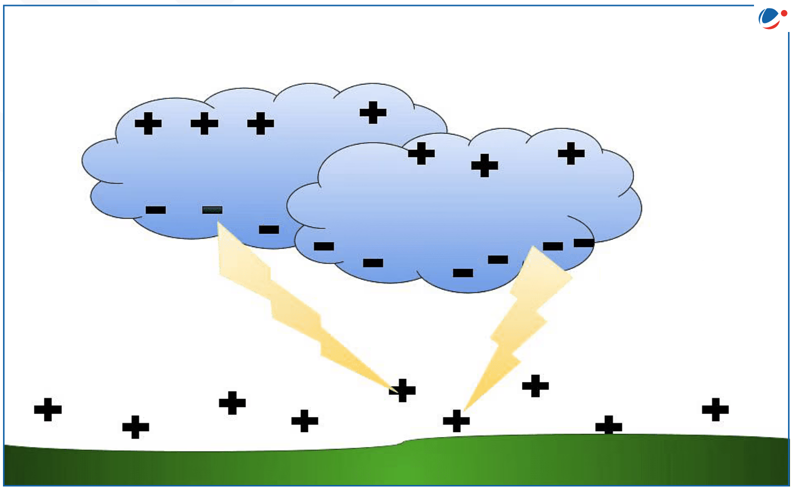

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)**
  - **दो स्तरीय एप्रोच:** वैज्ञानिक समाधान और समुदायों में उनका क्रियान्वयन तथा जलवायु कार्रवाई के जरिए घटनाओं को कम करना।
  - **आकाशीय बिजली और थंडरस्टॉर्म** से बचाव एवं प्रबंधन के लिए कार्य योजना की तैयारी हेतु दिशा-निर्देश (2019)।
  - **अन्य:** आकाशीय बिजली की प्रारंभिक चेतावनी के प्रसार के लिए प्रोटोकॉल, SACHET मोबाइल एप्लिकेशन, आदि।
- **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)**
  - यह **तीन मोड्स** में आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी करता है: 5 दिन से 24 घंटे तक का **लाइटनिंग आउटलुक, नाउकास्ट (तत्काल पूर्वानुमान)**, और **दामिनी मोबाइल ऐप**।
- **अन्य:** **तीन आकाशीय बिजली पहचान नेटवर्क, डॉप्लर वेदर रडार्स (DWRs) नेटवर्क**, आदि।

जोखिम साझा करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए RBI ने को-लेंडिंग नियमों को सख्त किया

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच को-लेंडिंग व्यवस्था (CLA) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश** जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश **बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934) और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम (1987)** के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

को-लेंडिंग क्या है?

- को-लेंडिंग व्यवस्था (CLA) के तहत, **विनियमित संस्थाएं (REs)** आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि वे वर्तमान विनियामक नियमों का पालन करें।

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- **न्यूनतम हिस्सा:** प्रत्येक विनियमित संस्था को **ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना** होगा।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) का दर्जा:** यदि ऋण PSL **मानदंडों** में आता है, तो **हर ऋणदाता** को-लेंडिंग (CL) के तहत **अपने हिस्से के लिए PSL दर्जे** का दावा कर सकता है।
- **एकसमान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली:** यदि एक ऋणदाता किसी ऋण को **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)** के रूप में वर्गीकृत करता है, तो सभी अन्य साझेदार ऋणदाताओं को भी उस ऋण को NPA वर्गीकृत करना होगा।
- **मिश्रित ब्याज दर:** उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर सभी विनियमित संस्थाओं की आंतरिक ब्याज दरों के भारित औसत के आधार पर तय की जाएगी, जो उनके वित्त-पोषण योगदान के अनुपात में होगी।

को-लेंडिंग का महत्त्व

- **बैंकों के लिए:** दुरदराज क्षेत्रों में **NBFCs की कनेक्टिविटी** के कारण बेहतर पहुंच, PSL लक्ष्यों के साथ बेहतर अनुपालन, आदि।
- **NBFCs के लिए:** साझा ऋण जोखिम, किफायती पूंजी तक बेहतर पहुंच, आदि।
- **उपभोक्ताओं के लिए:** प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के कारण सस्ते ऋण तक पहुंच, बेहतर अनुकूलन क्योंकि NBFCs अक्सर स्थानीय बाजार की वास्तविकताओं के अनुकूल लचीली ऋण संरचनाएं प्रदान करते हैं, आदि।

अन्य सुर्खियां

सूडान में शरणार्थी शिविर

संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के शरणार्थी शिविरों में **विश्व के सबसे भीषण मानवीय संकट उत्पन्न होने की चेतावनी** दी है।

सूडान में शरणार्थी शिविर

- **जमजम शिविर (Zamzam camp):** यह सूडान के उत्तर दारफुर राज्य की राजधानी **अल फाशर** (El Fasher) नगर के दक्षिण में स्थित है।
- **अबू शौक शिविर (नैवाशा शिविर):** यह **अल फाशर** नगर के उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान (ESOP)

ESOP कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक प्रकार की **हितलाभ योजना** है। इसमें कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के बाद **पूर्व-निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का विकल्प** देती हैं। हालांकि, यह कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है।

- **परिभाषा:** कर्मचारियों को इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए **तय अवधि तक कंपनी में कार्यरत** रहना होता है। एक बार शेयर खरीदने के बाद **कर्मचारी इन्हें शेयर बाजार में बेच** सकते हैं।
- **उद्देश्य:**
    - कर्मचारियों को **पुरस्कृत और प्रोत्साहित** करना,
    - कंपनी में **कर्मचारियों को बनाए रखना,**
    - कर्मचारियों में इस भावना को बढ़ावा देना कि शेयर-धारक होने के नाते **वे भी कंपनी के स्वामी** हैं, आदि।
- **विनियमन:**
    - **एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए:** सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत विनियमित।
    - **गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित।
    - **कराधान के लिए:** आयकर अधिनियम, 1961 के तहत।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने **अगस्त 2025 की बैठक में रेपो दर को 5.5% पर यथावत** रखा, और अपनी **नीतिगत रुख** को 'न्यूट्रल' बनाए रखा।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में

- **संरचना:** रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (2016 में संशोधित) के तहत गठित।
- **उद्देश्य:** मुद्रास्फीति को पूर्व-निर्धारित लक्ष्य तक नियंत्रित रखने के लिए नीतिगत रेपो दर तय करना।
- **सदस्य संख्या:** कुल 6 सदस्य (3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत)।
- **बैठक के लिए कोरम:** कम से कम 4 सदस्य आवश्यक।
- **अध्यक्ष:** भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (पदेन अध्यक्ष)।
- **बैठकें:** एक वर्ष में कम से कम **4 बार**।
- **निर्णय हेतु मतदान प्रक्रिया:** प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है; यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मतों में समानता हो तो **गवर्नर के पास निर्णायक मत** होता है।

गृह (GRIHA) रेटिंग

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **कर्तव्य भवन** को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे **GRIHA-4 ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन** किया गया है जिसमें सौर पैनल, वर्षा जल संचयन आदि सुविधाएं शामिल हैं।

- कर्तव्य भवन, **सेंट्रल विस्टा परियोजना** के तहत प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे **कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स** का हिस्सा है।

GRIHA के बारे में

- GRIHA का आशय है: **ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट**।
- यह एक रेटिंग टूल है जो लोगों को उनके भवन के प्रदर्शन को **राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्वीकार्य मानकों के आधार पर परखने** में सहायता करता है।
- इसे **TERI (ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान)** द्वारा विकसित किया गया है। इसे **2007 में राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में अपनाया** गया।

एनवायर्नमेंटल डीएनए (eDNA)

वैज्ञानिक अब जैव विविधता संरक्षण के लिए **एनवायर्नमेंटल डीएनए (eDNA) विश्लेषण** जैसी आधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- **DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड)** अधिकतर जीवों में आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। यह वंशानुगत जानकारी को संग्रहित और अगली पीढ़ी तक संचारित करता है।

एनवायर्नमेंटल डीएनए (eDNA) के बारे में

- यह वह आनुवंशिक सामग्री होती है जिसे **जीव अपने पर्यावरण (जैसे जल, मृदा वायु आदि) में उत्सर्जित** करते हैं।
    - इन सामग्रियों में **कोशिका, ऊतक, तरल पदार्थ और मल आदि से प्राप्त DNA** शामिल होते हैं।
- **तकनीक का उपयोग:** किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति के अस्तित्व और वितरण का पता लगाने, पारिस्थितिकी तंत्र पर नजर रखने में, आदि।
- **महत्त्व**
    - यह जैव विविधता पर नजर रखने का एक **नॉन-इनवेसिव** और **जीव-संवेदनशील** पद्धति है।
    - यह अन्य पारंपरिक जैव-निगरानी पद्धतियों की तुलना में **तेजी से और कम लागत में परिणाम** देती है।

भारतजेन AI

केंद्र सरकार के अनुसार, **भारतजेन AI पहल 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को कवर करेगी।**

- वर्तमान में, **यह 9 भाषाओं में कार्यरत है।**

भारतजेन AI के बारे में

- **परिचय:** यह भारत का अपनी तरह का पहला, **स्वदेशी रूप से विकसित, सरकारी वित्त-पोषित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित, मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)** है। यह भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और विज़न-लैंग्वेज सिस्टम, आदि तैयार करता है।
- **कार्यान्वयन:** इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के **इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS)** के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - इसका नेतृत्व IIT बॉम्बे के **IoT और IoE के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH)** द्वारा किया जा रहा है।

BharatGen
GenAI for Bharat, by Bharat

ओपन-वेट रीजनिंग मॉडल्स

ओपनAI ने दो **ओपन-वेट लैंग्वेज मॉडल्स** जारी किए हैं जो एडवांस्ड रीजनिंग में उत्कृष्ट हैं और इन्हें लैपटॉप पर चलाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित (ऑप्टिमाइज़्ड) किया गया है।

ओपन-वेट रीजनिंग मॉडल के बारे में

- **ओपन वेट रीजनिंग मॉडल्स** का आशय ऐसे मॉडल्स से है जिनके केवल पहले से प्रशिक्षित वेट्स या पैरामीटर्स को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता इन्हें अपने उद्देश्यों के अनुसार इन्फरेंस (निर्णय प्रक्रिया) या फाइन-ट्यूनिंग (अनुकूलन) के लिए उपयोग कर सकें।
    - ओपन सोर्स मॉडल्स के विपरीत, इसमें **ट्रेनिंग कोड, मूल डेटासेट, मॉडल आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी उपलब्ध नहीं** कराई जाती।
- **महत्त्व:** ये **मॉडल विकेंद्रीकृत AI उपयोग** को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि लोग इन्हें लोकल रूप से चला सकते हैं। इससे गोपनीयता, लचीलापन और पहुंच में वृद्धि होती है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI)

हाल ही में, सरकार ने लोक सभा में यह जानकारी दी है कि 85% से अधिक STPIs टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थापित किए गए हैं और उन्होंने गैर-मेट्रो शहरों में 2.98 लाख से अधिक नौकरियों का योगदान दिया है।

STPI के बारे में (मुख्यालय - नई दिल्ली)

- **स्थापना:** STPI की स्थापना 1991 में **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी एक संगठन के रूप में की गई थी।
- **भूमिका:** इसका मुख्य काम सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग को बढ़ावा देना तथा नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्ट-अप्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती तकनीकों के क्षेत्र में उत्पादों/ बौद्धिक संपदा के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
- **विजन:** इसका विजन **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (NPSP), 2019** के अनुरूप है।
- **उद्देश्य:**
    - सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना।
    - अनुकूल वातावरण बनाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देना।
    - सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/ इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजनाओं को लागू करके निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करना।

एसटीपीआई
STPI

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

फ्रांस (राजधानी: पेरिस)

हाल ही में, तीव्र पवनों, शुष्क वनस्पति और गर्म मौसम के कारण **दक्षिणी फ्रांस में भीषण वनाग्नि की घटना** हुई।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह **उत्तर-पश्चिमी यूरोप** में स्थित एक देश है।
- यह उत्तर में **अटलांटिक महासागर** और दक्षिण में **भूमध्य सागर** से घिरा हुआ है।
- इसके पश्चिम में **बिस्के की खाड़ी** और उत्तर-पश्चिम में **इंग्लिश चैनल** है।
- उत्तर में, यह **डोवर जलडमरूमध्य** द्वारा इंग्लैंड से अलग होता है।
- **पड़ोसी देश:** इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, मोनाको, एंडोरा, स्विट्ज़रलैंड और लक्जमबर्ग।

भौगोलिक विशेषताएं

- **नदियां: लॉयर** (फ्रांस में उद्गम, अटलांटिक महासागर में मिलती है), **सीन** (फ्रांस में उद्गम, इंग्लिश चैनल में मिलती है)।
- **पर्वत: आल्प्स** (दक्षिणी फ्रांस में), **द जूरा पर्वत** (आल्प्स के उत्तर में), **पिरेनिज** (स्पेन के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है), आदि।